आदेश से रीडर

15.5.17

पटल की राजस्व लोक अदालत
बोर्ड कैम्प आमलीगढ़ पर पेश। वादी स्व०
उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य मुख्य प्रकार
है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं०३से
०7 के संयुक्त कब्जे एवं काश्त की
शामलाति आराजिसात ग्राम बावरा।

मे आराजी नम्बर 55, 56, 57, 58, 59
60, 61, 62 वित्ता 08 रकबा 07 बीघा
03 बिस्वा स्थित है जिसमे वादीगण का
1/2 व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा निपत
है।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 वादीगण की उक्त वर्णित भराजियात के पडोसी है, तथा उक्त भराजियात पर प्रति. स. 1 व 2 का कोई संबंध नही है परन्तु उक्त प्रतिवादी व वादीगण की भूमि हडपना चाहते है एवं जे.सी.बी. से पुराने चबूतरो को हटा कर उक्त भूमि पर स्थाई पक्का निर्माण करने पर उतारू हो रहे है, वादीगण को जबरदस्ती बेदखल कर धमकिया देते है और पक्का निर्माण करने पर उतारू है

अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई जाकर पारित किया जावे की उक्त भराजियात पर वादीगण को जबरन बेदखल नही करे व न अन्य व्यक्ति किसी से करावे। वादीगण को शांति पूर्वक देखा से उपयोग-उपभोग करने देवे जैसे की यथा स्थिति बनाई रहवे।

वाद पत्र व प्रस्तुत वाद पत्र के साथ दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी अ.ि. के द्वारा वाहे गये कथन को सुना गया।

आदेश

अतः ग्राम नाकर) दो आराजी
नम्बर 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
तुल मिता 8 तुल रकबा 7 बीघा
03 बिस्वा - ग्राम पर प्रतिवादी सं० 1 व 2 को

अस्थाई निषेधाज्ञा के पारित किया
जाता है कि वादीगण को उक्त अराजी
वक्फ से बेदखल नहीं करें व न अन्य किसी
व्यक्ति से बेदखल करावें, शांति पूर्वक
उक्त भूमि पर उपयोग उपभोग करने
देवें, प्रतिवादी सभा व समिति की यथास्थिति
बनाई रखें।

खर्चा कारिणीत अपना अपना वहन
करें।

आज यह निर्णय इसरे आम सुनाया
गया।

यह आदेश पेशकार सुमार होकर नम्बर
से काम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ़

उनवान

1- श्री शंकर लाल उ० रामचन्द्र कुमावत निवासी काबरा
2- श्रीमति श्रीगारी पत्नी ——— " ——— उपनाम वादीगण

1- श्री रमेश्वर पिता हीरा कुमावत निवासी काबरा
2 " मोहनलाल पिता ——— " ———
3 " मन्दलाल पिता बरदा ——— " ———
4 " जगदीश पिता ——— " ———
5 " कैलाश पिता ——— " ———
6 " राधा पिता ——— " ———
7 " बानी पुत्री ——— " ———
8 तहसीलदार हमीरगढ

प्रतिवादीगण

दावा बाबत–
मुकदमा नम्बर :– 43/16
निर्णय दिनांक :– 15.5.17

वादी की ओर से 1 वादी की व प्रतिवादी की ओर से ——— उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.5.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी **श्रीमती रेणु मीना**) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

ग्राम काबरा के आराजी नम्बर 55,56,57, 58,59,60,61,62 कुल बिघा 8 कुल रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं० 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करेंगे व न अन्य किसी व्यक्ति से बेदखल करावे। शांति पूर्वक उक्त भूमि पर उपयोग-उपभोग करने देवे, प्रतिवादी सं० 1 व 2 मौके की यथास्थिति बनाई रखे।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें।
यह आज तारीख 15.5.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ